"भिऊ नको, शेतकरी संघटना घेऊ घामाचे दाम"

स्वतंत्र भारत
Swatantra Bharat Party
ANIL GHANWAT, President
email: ghanwatanil77@gmail.com
http://swatantra.org.in
MEMBER, SUPREME COURT COMMITTEE ON FARM LAWS

2 October 2022 [DRAFT 26 APRIL 2022]

प्रधानमंत्री को ज्ञापन

किसानों की मांगें – संक्षिप्त में

आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय !

देश के किसानों का पिछले ७० सालों में असीमित शोषण किया गया है, इस सम्बंध में आज २ ऑक्टोबर २०२२ को एक विस्तृत **चर्चा पत्रक** भी प्रसारित किया गया है (पढ़े– http://swatantra.org.in).

भारत के किसानों का सरकारी व्यवस्था तंत्र और क़ानूनी शिकंजों द्वारा भरपूर शोषण किया गया है। किसानों की आमदनी का सालाना ५ से २५ प्रति शत का नुक़सान सरकार की दमनकारी बाज़ार और भूमि सम्पत्ति के नियमों से होता रहा है। इन ग़लत नीतियों ने ना सिर्फ किसान की आमदनी को कम किया है, बल्कि कई बार किसानों को भारी नुक़सान का सामना करना पड़ता है। हमारे किसानों को ग़ुलामी की बेड़ियों में जकड़कर खुद का पालन पोषण करने के लिए मजबूर करने वाली नीतियों को तत्काल रोकना होगा।

देश के सभी मेहनतकश किसानों ने एक स्वर में निम्नलिखित अपनी उचित माँगो का मसौदा तैयार किया है।

१. बाज़ार सम्बंधित नकारात्मक सब्सिडी (negative subsidy**) को तत्काल रोके –**

आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) और कृषि उत्पाद सम्बन्धी विदेश व्यापार की रोकथाम वाली नीतियाँ हटायी जाएँ। देश की अति संवेदनशील सुरक्षा स्थिति के अतिरिक्त ऐसे रोकथाम वाले प्रतिबंधित कानूनों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इस विषय में विस्तृत जानकारी चर्चा पत्र में दिया गया है , संक्षेप में ;

- किसानों को अपने फसल को उनकी इच्छानुसार APMC मंडी अथवा खुले बाज़ार में बेचने को पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। किसान अपनी फसल प्राइवेट कॉन्ट्रेक्ट अथवा किसी भी प्रकार से फसल बेचने हेतु स्वतंत्र होने चाहिए।
- किसानों को उत्पादन के तरीक़ों, भंडारण, फसल का वितरण, प्रसंस्करण इत्यादि की पूर्ण स्वतंत्र व्यवस्था मिलनी चाहिए। प्रदेश, देश अथवा विदेश में बेचने की आज़ादी होनी चाहिए।
- सरकार बाज़ार की परिस्थिति के आधार पर खाद्य सुरक्षा हेतु संरक्षण का प्रबंध करते समय वैश्विक स्तर के क़ीमतों का ध्यान रखकर ही ख़रीदारी करे। सरकार द्वारा भंडारित अनाज सीमित और संतुलित मात्रा में ही बाज़ार में आना चाहिए, ताकि संरक्षित अनाज कृषि बाज़ार के मुक्त संतुलन में अवरोध नहीं डाले।

२. सम्पत्ति के अधिकार नियंत्रण सम्बंधित सभी क़ानून तत्काल वापस ले –

हम सम्पत्ति अधिकार पर रोकथाम वाले सभी शोषणकारी क़ानूनों को ख़त्म करने की माँग करते हैं।

- किसानों को अपनी भूमि का किसी भी प्रकार के उद्देश्य से इस्तेमाल करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। पर्यावरण रोधी नियमों के अतिरिक्त किसान अपनी भूमि का प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र हो ।
- कृषि ज़मीन मालिकाना सीमित क़ानून (land ceiling) तत्काल प्रभाव से हटाएँ जाए । सामान्य उद्योगों की तरह दक्ष किसानों को भी उनकी क्षमता अनुसार भूमि रखने की आज़ादी होनी चाहिए।
- किसानों को भूमि सम्पत्ति किसी को भी बेचने अथवा ख़रीदने की पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। भारतीय नागरिकों और OCI के अतिरिक्त विदेशी नागरिक भी ज़मीन ख़रीद सके ऐसी व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। विदेशी नागरिकों के ज़मीन के ख़रीद परोख्त का क़ानून देश के सुरक्षा सम्बंधित मसलों का ध्यान रखते हुए बनाया जाए।
- किसानों को अपने स्वामित्व वाली ज़मीन पर किसी भी फसल को बोने, ज़मीन के आधार पर ऋण लेने की और इंडस्ट्री या व्यावसायिक संस्थान में निवेश करने की पूर्ण आज़ादी मिले।

उपरोक्त सुधारों को लागू करने के लिए संविधानिक सुधार करके डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए मौलिक सम्पत्ति अधिकार क़ानूनों को लागू करना चाहिए, जिसका लाभ सभी नागरिकों को मिल सकेगा ।

३. समयबद्ध दस वर्ष के लिए सकारात्मक सब्सिडी (positive subsidy**) जारी रखें –**

उपरोक्त माँग क्रमांक १ एवं २ के **लागू होने के पश्चात** आगामी दस वर्षों तक चल रही सब्सिडी योजनाएँ (न्यूनतम मूल्य (MSP), उर्वरक सब्सिडी, इत्यादि) को किसानों के पिछले सात दशकों के नुक़सान के भरपाई स्वरूप जारी रखें।

सुधार १ एवं २ के लागू होने के दस वर्षों के पश्चात चल रही सब्सिडी योजनाओं को आधा किया जाए और बाकी आधी राशि को ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी ढाँचे (infrastructure) को सुधारने में लगाया जाए।

४. सुधारों का क़ानूनीकरण –

प्रस्तावित सुधारों और माँगों को उचित संवैधानिक प्रक्रिया करके क़ानूनी दर्जा दिया जाए, जिसके बिना कृषि क्षेत्र और किसानों की स्थितियों में सुधार मुश्किल है ।

५. कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक मदद – (मात्र एक बार) –

किसानों के भलाई के प्रति सरकारी प्रतिबद्दता को दिखाते हुए देशभर के सारे किसानों के हर प्रकार के कृषि ऋण माफ़ किए जाए। सात दशकों की प्रताड़ना के बाद देश के किसान की दुर्दशा और आत्म हत्या जैसे कदम उठाने की मजबूरी से निकालने की ठोस शुरुआत करने का इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ।

ऊपर लिखित सुधार क्रमांक १ से ४ तक पूर्ण लागू होने के **बाद** ही पूर्ण क़र्ज़ माफ़ी किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को भविष्य में कभी भी ऐसी क़र्ज़ माफ़ी की ज़रूरत नहीं होगी ।

ऐसे ऋण माफ़ी योजनाओं से बाज़ार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की हमको पूरी समझ है इसलिए हमने कृषि क्षेत्र को दीर्घकालिक आज़ादी और सम्पन्नता देने वाले सुधारो की माँग की है। देश के किसानों को सम्मान और स्वतंत्र व्यवस्था देने वाले सुधारो के बाद किसान को कभी सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। शेतकरी संगठन ने सब्सिडी, कर्जमाफ़ी की माँग नहीं की है, हम किसानों को उनके पसीने की सही क़ीमत दिलाने वाली स्वतंत्र बाज़ार प्रणाली के पक्षधर हैं।

६. अन्य सुधार –

चर्चा पत्रक में हमने अन्य बुनियादी नीतियों और प्रशासन प्रणाली सम्बंधित सुधारों पर विस्तार में लिखा है जिनको लिखित रूप में स्वीकार किया जाए – जिनके बिना क्रमांक १ से ३ का प्रभावी होना असंभव है।

Yours sincerely

Anil Ghanwat

President, Swatantra Bharat Party
and Member of the Supreme Court Committee on Farm Laws

CO-SIGNATORIES